आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प0 13(15)सा.प्र./3/83 जयपुर, दिनांक 25-10-83

परिपत्र

विषय:- रिक्त पदों को भरने हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31-5-1979 व दिनांक 10.7.1979 के द्वारा रिक्त पदों के लिए अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रथा को परीक्षण के तौर पर कुछ समय के लिए बंद किया गया था ।

अब इस मामले में पुनः विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपलब्ध समस्त रिक्त पदों को भरने हेतु पूर्व की भांति सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त रिक्त पदों को भरने से पूर्व सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग से पूर्व की भांति अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा । विभागीय रिक्त पदों हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मांग करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों यथा वित्त विभाग कार्मिक विभाग आदि द्वारा रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में जो प्रतिबंध लगाये गये हैं उनके लिये उनसे छूट प्राप्त करली गई है, ऐसा नहीं करने की स्थिति में वे स्वयं इसके लिये उत्तरदायी होंगे । मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु पूर्व की भांति केवल संबंधित जिलाधीशों से ही (जयपुर जिले को छोड़कर) अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करना पर्याप्त होगा । जयपुर जिले के मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग से ही यथावत प्राप्त किये जायेंगे ।

अनुपलब्धता प्रमाण पत्र हेतु सूचना निम्न प्रपत्र में भेजी जावे -

(1) पद नाम तथा वेतन श्रृंखला

(2) रिक्त पदों की जिलेवार संख्या (प्लान नोन प्लान)
तीन माह से अधिक समय से रिक्त आयोजना भिन्न
पदों के लिये वित्त विभाग से स्वीकृत प्राप्त करना

(3) पदों की योग्यता/सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा

(4) पद किस प्रकार भरे जावेंगे - सीधी भर्ती से या पदोन्नति से।

(5) पद रिक्त होने का स्त्रोत (नव सृजित/सेवा निवृत्ति/स्थानान्तरण/पदोन्नति/त्याग-पत्र/निलम्बन/सेवा समाप्ति/मृत्यु तथा अवकाश कालीन), पुष्टि हेतु संबंधित आदेशों की प्रति।

(6) यदि पद पदोन्नति से रिक्त हुए हैं तो जिस पद पर पदोन्नति की है उस पद को भरने हेतु क्या इस विभाग से एन.ए.सी. प्राप्त करली गयी है।

(7) मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के लिये संबंधित जिलाधीश (जयपुर जिले को छोड़कर) से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(8) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों के नामों की आईटम (2) के अनुसार जानकारी/स्थानान्तरण से रिक्त हुए हैं तो क्या दोनों स्थान एक ही पद नाम से हैं।

(9) क्या इन पदों को गत माह के रिक्त पदों के मासिक विवरण जो दिनांक का पत्रांक द्वारा भेजा गया है, में सम्मिलित है।

(सुधीर शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1- समस्त शासन सचिव/सचिवालय समस्त विभाग।
2- समस्त विभागाध्यक्ष।
3- समस्त जिलाधीश।
4- समस्त कोषाधिकारी।

अनुभागाधिकारी

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
4- सचिव लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5- रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6- निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

अनुभागाधिकारी